न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 56/2021

GCMS NO. : 2021/92

-: वादी :- **बनाम** **-: प्रतिवादीगण :-**

1. सुगनाराम पुत्र घेवरराम
जाति- मेघवाल निवासी- प्रतापपुरा
नया गांव, तहसील-जैतारण
जिला-पाली।

1. घेवरराम पुत्र हजारी
2. धारू पुत्र हजारी
3. प्रहलाद पुत्र हजारी
4. मदन पुत्र हजारी
5. मोहन फौत के कायम मुकाम
    - 5/1. छोटूराम पुत्र मोहन
    - 5/2. धर्माराम पुत्र मोहन
    - 5/3. नेनी पुत्र मोहन
    - 5/4. कमली पुत्री मोहन
    - 5/5. भरपाई पुत्री मोहन
6. रेवतराम पुत्र घेवर
7. संतोष पुत्री घेवर
जातियान मेघवाल निवासीगण
प्रतापपुरा नया गांव राबडियावास
तहसील जैतारण जिला पाली।
8. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरीये
तहसीलदार जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 19/08/2021

उपस्थित:- 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री राजूराम कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनाँक:-** 28/04/2023

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही कुटम्ब के सदस्य है, तथा हजारी पुत्र रामसुख के वारिसान है। जो वादी द्वारा प्रस्तुत वृक्ष वंशावली से स्पष्ट है। सरहद मौजा राबड़ियावास भू-अभिलेख बलाड़ा में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम की शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 358 खसरा संख्या 209 रकबा 1.9668 हैक्टर, खसरा संख्या 209/1 रबा 0.0081 हैक्टर गै.मु., खसरा संख्या 210 रकबा 1.2950 हैक्टर खसरा संख्या 211 रकबा 1.7968 हैक्टर, खसरा संख्या 212 रकबा 0.0647 हैक्टर, खसरा संख्या [illegible] हैक्टर गै.मु., खसरा संख्या 214 रकबा 0.6556 हैक्टर, खसरा संख्या 215 रकबा 0.7932 हैक्टर खसरा संख्या 235 रकबा 0.4371 हैक्टर कुल खसरा 9 कुल रकबा 7.1306 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 की पेश है। वादपत्र में दर्ज कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी है, जिसमें वादी का कानूनन जन्म से ही प्रतिवादी संख्या 1 पिता के आराजी में हक व अधिकार है। वादी का अपने पिता की सम्पत्ति में माफिक हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर कब्जा काश्त है। यदि वादी का पैतृक पुश्तैनी भूमि में नाम दर्ज नहीं होता है, तो वादी अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा। वाद में वर्णित भूमि वादी के दादा हजारी पुत्र रामसुख के नाम की है, तथा हजारी की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम जरीये म्यूटेशन संख्या 493 दिनांक 04.06.1984 को दर्ज हुआ, जो वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 में दर्ज प्रविष्टि से स्पष्ट है। वादपत्र में दर्ज कृषि भूमि में वादी का मौके पर दर्ज कृषि भूमि में माफिक हिस्सेनुसार कब्जाकाश्त है, वादी का मुख्य धंधा काश्त व मजदूरी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादपत्र में दर्ज कृषि भूमि में अपना नाम माफिक हिस्सेनुसार दर्ज करने बाबत दिनांक 31.07.2021 को कहा तो स्पष्ट इन्कार हुआ तथा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ने यह ऐलानिया धमकी दी कि मेरे हक हिस्से की भूमि को बैचान करूंगा व तुम्हें कब्जे से बेदखल करूंगा। प्रतिवादी संख्या 1 अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है तो वादी अपनी जायज हक अधिकारों से वंचित होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी सूरत में संभव नहीं होगी, तब वादी ने वादपत्र में वर्णित भूमि में माफिक हिस्सेनुसार अपना नाम दर्ज करवाने की घोषणा बाबत व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 1, जो कि 80 वर्षीय वृद्ध व अनपढ व्यक्ति है, जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं है, प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 जो कि घर में कर्तादाता व होशियार होने से प्रतिवादी संख्या 1 को वाद में वर्णित भूमि बाबत बंटवाडा हेतु तहसील कार्यालय जैतारण लाया व कहा कि अपन सभी भाई के आपस में प्रेमभाव बना रहे व कोई वैमनस्यता पैदा न हो, इसलिये अपनी शामलाती खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा कर देते हैं इसी विश्वास के साथ प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 के विश्वास में आया व कस्बा जैतारण में आकर उक्त भूमि का बंटवारा नहीं करवाकर प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 को मुगालते में रखकर एक हकतर्कतनामा अपने पक्ष में दिनांक 03.08.2021 को निष्पादित करवा दिया जो सर्वथा वादी के पिता के विरुद्ध अवैध व प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमियों को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में पैतिक, पुश्तैनी भूमि का हकतर्कनामा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, व न है, व न ही हकग्रहिता को उसमें हक स्वतः खातेदारी अधिकार कानूनन हासिल नहीं होते है। उक्त हकतर्कनामा ऐबईनीसीओ वर्ड है, प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त हकतर्कनामा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया जिसके बारे में वादी व वादी के परिवार के अन्य सदस्यों को कोई जानकारी में नहीं [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किये गये हकतर्कनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 मौके पर आया व वादी को उसके हक–हिस्से की भूमि में काश्त करने से मना किया व कब्जे से बेदखल करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:05 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी कुमार बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

धमकी दिनांक 05.08.2021 को दी व वादी को कहा कि उक्त भूमि मैने तुम्हारे पिता से जरीये हकतर्कनामा के प्राप्त कर ली है, तुम्हारा कोई इसमें अधिकार नहीं बनता है यदि वादी को प्रतिवादीगण उसके हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादी अपने अधिकारों से महरूम होगा। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये अवैध व गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने बाबत वादी ने यह वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। वादी को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में करवाये गये हकतर्कनामा बाबत जानकारी होने पर वादी ने उपपंजीयन कार्यालय जैतारण में आकर दिनांक 11.08.2021 को हकतर्कनामा व अन्य दस्तावेज की नकले प्राप्त की व वादी द्वारा उक्त वाद अपने अधिकारों बाबत प्रस्तुत कर रहा है। वाद में वर्णित कृषि भूमि के अन्य खातेदारान के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं होने से उन्हें वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया है, तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को बतौर वादी बनने हेतु निवेदन किया परन्तु उन्होने किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं ली तब उन्हें बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया तथा उक्त वाद के खातेदार मोहन की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया। प्रतिवादीगण संख्या 8 सरकारी सेवक है जिन्हें बाद में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने से पूर्व 80 (2) सीपीसी का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है, लेकिन वाद अर्जेन्ट प्रकृति का होने से बिना नोटिस दिये ही न्यायालय की अनुमति से वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। बिनाय वाद दिनांक 31.07.2010 को वादी ने पैतृक, पुश्तैनी भूमि में माफिक हिस्सेनुसार अपना नाम दर्ज करवाने बाबत प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो इन्कार हुए, व वादी को उसके कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी व प्रतिवादी संख्या 2 ने हकतर्कनामा के आधार पर दिनांक 05.08.2021 को वादी को कब्जेकाश्त से बेदखल करने हेतु कहा तब वादी ने व राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने पर उक्त बातें की जानकारी होने पर बमुकाम राबड़ियावास तहसील जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 5/1 से 5/4 व 8 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 6 व 7 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सा0 मि0 है। प्रतिवादी संख्या 1, 6 व 7 ने इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा0मि0 है।

प्रतिवादी संख्या 1,6 व 7 ने अपने इकबालिया जवाब में कथन किया कि वादपत्र के पद संख्या 1 से 10 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। जवाब देहान्दा प्रतिवादी संख्या 1 जो 80 वर्षीय वृद्ध अनपढ व्यक्ति है जिसको अपने भाईयों ने मुगालते में रखकर तहसील कार्यालय में बंटवाडा का कहकर गलत तरीके से हकतर्कनामा करवा लिया जबकि उसको इसके बारे में नहीं बताया गया का कथन सही है जबकि [illegible] भूमि प्रतिवादी संख्या 1 घेवरराम व उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] व 7 मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं उपयोग उपभोग [illegible] रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:05 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] कुमार बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण (पाली)

हक-हिस्से की भूमि में वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है तो उसमें उत्तरदाता प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किए एवं दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये, जो सा0मि0 है। बहस वकील उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से अपनें पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टाँत प्रस्तुत किए गए :-

1. RRD 1978 Page no 375
2. RBJ 2005 Page no 405

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टाँत का ससम्मान अवलोकन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय-निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2036-2039 (प्रदर्श-12) में अंकित नोट अनुसार नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 06.04.1984 के द्वारा हजारी के फौत होने पर नामांतरकरण मोहन, धारू, मदन, प्रहलाद, घेवर पि0 हजारी के नाम भरा गया। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-2076 (प्रदर्श-1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि मोहन, धारू, मदन, प्रहलाद, घेवर पि0 हजारी वादग्रस्त आराजी में 1/30 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादी के दादा हजारी से उसके पिता घेवर को विरासत से प्राप्त हुई है एवं वादी की पैतृक पुश्तैनी जमीन है।
2. वादी सुगनाराम पुत्र घेवरराम के साक्ष्य शपथ-पत्र PW-1 के अनुसार वादग्रस्त अराजी वादी के दादा हजारी पुत्र रामसुख के नाम थी तथा हजारी की मृत्यु के बाद उनके विधिक बारिसान प्रतिबादी संख्या 1 से 5 के नाम जरिए म्युटेशन संख्या 493 दर्ज हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के विश्वास में आकर उक्त भूमि का बंटवाडा नहीं करवाकर प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 को मुगलाते में रखकर एक हकतर्कनामा अपने पक्ष में दिनांक 03.08.2021 को निष्पादित करवा लिया। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हकतर्कनामा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अन्य शहादत में गवाह हेमसिंह पुत्र कल्याणसिंह निवासी नया गांव प्रतापपुरा तहसील जैतारण का साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 02 प्रस्तुत किया। गवाह हेमसिंह ने अपने शपथ-पत्र पर सशपथ कथन किया [illegible] सुगनाराम, घेवरराम को इनके दादाजी के समय से [illegible] इनके पिताजी के जमीन करीब सात बीघा आती है। [illegible] के पिताजी घेवरराम ने किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:05 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] (पाली)

से कोई हकतर्क न हीं किया।'' गवाह मनोहरसिंह पुत्र दुर्गासिंह निवासी नया गांव प्रतापपुरा तहसील जैतारण का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 03 प्रस्तुत किया। गवाह मनोहरसिंह ने अपने शपथ–पत्र पर सशपथ कथन किये कि ''मैं वादी को जन्म से जानता हुँ। मुझे जानकारी नहीं है कि वादी के पिता ने वादी की पैतृक कृषि भूमि को अपने भाईयों के नाम हकतर्क कर दिया है।''

3. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात हकतर्कनामा की प्रति (प्रदर्श–13ए) के अनुसार दिनांक 03.08.2021 को उपपंजियन अधिकारी, जैतारण द्वारा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 386 में पृष्ठ संख्या 197 क्रम संख्या 2021 03224102502 पर यह दस्तावेज पंजीबद्ध किया गया। यह हकतर्कनामा प्रथम पक्ष श्री घेवर पुत्र हजारी, श्री प्रहलाद पुत्र हजारी एवं श्री मदन पुत्र हजारी द्वारा द्वितीय पक्ष श्री धारू पुत्र हजारी के पक्ष में निष्पादित किया गया। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी को घेवर, प्रहलाद, मदन द्वारा हकतर्क किया गया।

4. प्रतिवादी संख्या 1,6 व 7 ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया। उक्त इकबालिया जबाब में प्रतिबादी ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 जो 80 वर्षीय वृद्ध अनपढ व्यक्ति है जिसको अपने भाईयों ने मुगालते में रखकर तहसील कार्यालय में बंटवाडा का कहकर गलत तरीके से हकतर्कनामा करवा लिया जबकि उसको इसके बारे में नहीं बताया गया का कथन सही है जबकि मौके पर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 घेवरराम व उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं उपयोग–उपभोग कर रहे है।

5. वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में पत्र अपने पिता के जीवनकाल में अधिकार प्राप्त कर सकता है। अपने पिता के पास की पैतृक भूमि में पुत्र को जन्म से ही और पिता के जीवनकाल में ही अधिकार प्राप्त हो जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 358 खसरा संख्या 209 रकबा 1.9668 हैक्टर, खसरा संख्या 209/1 रबा 0.0081 हैक्टर गै.मु., खसरा संख्या 210 रकबा 1.2950 हैक्टर खसरा संख्या 211 रकबा 1.7968 हैक्टर, खसरा संख्या 212 रकबा 0.0647 हैक्टर, खसरा संख्या 213 रकबा 0.1133 हैक्टर गै.मु., खसरा संख्या 214 रकबा 0.6556 हैक्टर, खसरा संख्या 215 रकबा 0.7932 हैक्टर खसरा संख्या 235 रकबा 0.4371 हैक्टर पैतृक पुश्तैनी आराजी है, जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 घेवरराम पुत्र हजारी को अपने पिता के देहान्त के बाद फौतेदगी म्यूटेशन से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी पैतृक [illegible] होने से वादी को उक्त सम्पत्ति में जन्म से अधिकार प्राप्त है। अतः वादी को वादग्रस्त आराजी में अपने पिता के हक–हिस्से 1/30 वां हिस्से को 1/4 वां भाग का खातेदार घोषित किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

उचित समझते है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा राबडियावास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बलाड़ा, तहसील जैतारण में खसरा संख्या 209 रकबा 1.9668 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 209/1 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा संख्या 210 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 211 रकबा 1.7968 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 212 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 213 रकबा 0.1133 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा संख्या 214 रकबा 0.6556 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 215 रकबा 0.7932 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 235 रकबा 0.4371 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम में घेवर पुत्र हजारी के 1/30 वां हिस्सा में से वादी को 1/4 वां हिस्से में दर्ज करते हुए इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें व न ही करावें। खर्चा मुकदमा वादी एवं प्रतिवादीगण अपना अपना स्वयं वहन करेंगें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/04/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. सुगनाराम पुत्र घेवरराम
   जाति- मेघवाल निवासी- प्रतापपुरा
   नया गांव, तहसील-जैतारण
   जिला-पाली।

1. घेवरराम पुत्र हजारी
2. धारू पुत्र हजारी
3. प्रहलाद पुत्र हजारी
4. मदन पुत्र हजारी
5. मोहन फौत के कायम मुकाम
   5/1. छोटूराम पुत्र मोहन
   5/2. धर्माराम पुत्र मोहन
   5/3. नेनी पुत्र मोहन
   5/4. कमली पुत्री मोहन
   5/5. भरपाई पुत्री मोहन
6. रेवतराम पुत्र घेवर
7. संतोष पुत्री घेवर
   जातियान मेघवाल निवासीगण
   प्रतापपुरा नया गांव राबडियावास
   तहसील जैतारण जिला पाली।
8. भूमिधारी राजस्थान सरकार
   जरीये तहसीलदार जैतारण।

मु0न0 :रा0वा0स0: 56/2021

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री राजूराम कुमावत, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा राबडियावास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बलाड़ा, तहसील जैतारण में खसरा संख्या 209 रकबा 1.9668 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 209/1 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा संख्या 210 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 211 रकबा 1.7968 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 212 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 213 रकबा 0.1133 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा संख्या 214 रकबा 0.6556 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 215 रकबा 0.7932 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 235 रकबा 0.4371 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम में घेवर पुत्र हजारी के 1/30 वां हिस्सा [illegible] वादी को 1/4 वां हिस्से में दर्ज करते हुए इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:05 IST
Reason: SelfAttested

श्याम सुन्दर बिश्नोई,
सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक
जैतारण (पाली)

पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें व न ही करावें। खर्चा मुकदमा वादी एवं प्रतिवादीगण अपना अपना स्वयं वहन करेगें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी होकर निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तख़त व मोहर अदालत के आज तारीख **28/04/2023** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-पाली (राज0)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प बजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	3.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः-	9.00	मिजानः-	2.00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:05 IST
Reason: SelfAttested